


हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/10/19	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप०। प्रतिवादी पैरोकार उप०। उभय पक्ष को सुना।</p> <p>वादी ने इस आशय का वाद प्रस्तुत किया है कि वादी की खातेदारी के खेत मौजा केरकोरी तह० गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 1128 रकबा 149.12 बीघा किस्म बा०चा० का आया हुआ है। वादग्रस्त आराजी पक्षकरान की संयुक्त एवं अविभाजित खातेदारी की भूमि है जिसमें पक्षकारों के मध्य कब्जे काश्त को लेकर कोई विरोधाभास नहीं है। वादी एवं प्रतिवादीगण को उक्त वादग्रस्त आराजी विरासत में प्राप्त हुई है। वादी का नाम राजेन्द्रसिंह पुत्र मानसिंह के स्थान पर वादी का नाम रामसिंह पुत्र मानसिंह दर्ज कर दिया। अतः वादी ने वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में अपने नाम के शुद्धिकरण हेतु वाद प्रस्तुत किया है।</p> <p>वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी पैरोकार को सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार गडरारोड़ ने अपने जबाब में वादी के नाम को दुरुस्त किये जाने में अपनी अनापत्ति जाहिर की है। वादी ने ब्यान शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजात नकल वर्तमान जमांबंदी, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये।</p> <p>हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व मौखिक अभिकथनों तथा प्रतिवादी के जवाब का अवलोकन किया। जिसमें वादी का नाम राजेन्द्रसिंह पुत्र मानसिंह ही है।</p> <p>लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 1128 रकबा 149.12 बीघा भूमि, किस्म बा०चा० मौजा केरकोरी, तह० गडरारोड़ की भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम रामसिंह पुत्र मानसिंह के स्थान पर राजेन्द्रसिंह पुत्र मानसिंह घोषित किया जाता है।</p> <p>तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) शिव, जिला-बाड़मेर </p>	

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्लदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता)

(Civil Procedure Code, Appellendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिव
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह आई.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 032/2019.

अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. राजेन्द्रसिंह पुत्र मानसिंह, जाति-राजपूत, नि० अकली तह० गडरारोड़ हाल नि० सिलोर तह० सिवाना जिला बाडमेर		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गडरारोड़ 2. अमरसिंह पुत्र मानसिंह 3. लखसिंह पुत्र मानसिंह 4. उदयसिंह पुत्र मानसिंह जाति-राजपूत, नि० अकली तह० गडरारोड़, हाल नि० सिलोर तह० सिवाना 5. श्यामकंवर पत्नी नीम्बसिंह 6. माधुसिंह पुत्र जुगतसिंह 7. सरूपसिंह पुत्र शोभसिंह 8. कंवरराजसिंह पुत्र शोभसिंह 9. ढेलकंवर पत्नी शोभसिंह 10. अनेकवर पत्नी अखेसिंह 11. हिन्दुसिंह पुत्र अखेसिंह 12. विक्रमसिंह पुत्र अखेसिंह 13. मूलसिंह पुत्र भूरसिंह 14. टीलसिंह पुत्र भूरसिंह 15. अर्जुनसिंह पुत्र भूरसिंह 16. निम्बसिंह पुत्र दीपसिंह 17. चैनसिंह पुत्र दीपसिंह 18. गजकंवर पत्नी दीपसिंह 19. नखतसिंह पुत्र प्रहलादसिंह 20. झूंझारसिंह पुत्र सांगसिंह 21. ललकंवर बेवा सांगसिंह 22. शाखा प्रबंधक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा- जैसिन्धर 23. शाखा प्रबंधक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा-जैसिन्धर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थिति :- 1. श्री ब्रजमोहन कुमावत एडवोकेट- वादी।
2. प्रतिवादी पैराकार उप०।

अन्तिम डिक्री

वादी एवं प्रतिवादी को आज दिनांक 21.10.2019 को सहायक कलक्टर शिव के समक्ष अन्तिम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 1128 रकबा 149.12 बीघा मौजा केरकोरी, तह० गडरारोड़ की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम रामसिंह पुत्र मानसिंह के स्थान पर राजेन्द्रसिंह पुत्र मानसिंह घोषित


सहायक कलक्टर
(S.D.O) शिव

किया जाता है। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अपडेट
सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

निर्णय आज तारीख 21.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की
गयी।



(प्रताप सिंह)
सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव

